



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10102026-277021
CG-DL-W-10102026-277021

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 10—अक्टूबर 16, 2026 (आश्विन 18, 1948)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 10—OCTOBER 16, 2026 (ASVINA 18, 1948)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	451	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	965	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	9	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1683	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	4431
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	8671
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	451	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	965	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	9	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1683	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4431
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	8671
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितंबर 2026

सं. 9-48/2004-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 24.05.2005 की जिसमें (i) जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वर्धा और (ii) शरद पवार डेंटल कॉलेज, वर्धा शामिल हैं, अधिसूचना संख्या 9-48/2004-यू.3 (ए) माध्यम से, दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नागपुर, महाराष्ट्र को कुछ शर्तों के साथ एक सम विश्वविद्यालय घोषित किया है।

3. और जबकि, मंत्रालय ने दिनांक 27.09.2022 की अधिसूचना संख्या 9-48/2004-यू3(ए) के माध्यम से "दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज" का नाम बदलकर "दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च" कर दिया।

4. और आगे जबकि रजिस्ट्रार, दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ने दिनांक 03.10.2025 के पत्र के माध्यम से सम विश्वविद्यालय संस्थान का नाम 'दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च' से बदलकर 'अदानी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च' करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

5. और जबकि, यूजीसी की सलाह को ध्यान में रखते हुए, इस मंत्रालय ने दिनांक 05.05.2026 के पत्र के माध्यम से कुछ शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन 'दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च' का नाम बदलकर 'अदानी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च' करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसके अलावा, संस्थान ने दिनांक 16.07.2026 के पत्र के माध्यम से उन शर्तों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। यूजीसी ने अनुपालन रिपोर्ट की जांच की और इस मंत्रालय को अपनी सलाह प्रस्तुत की।

6. अब इसलिए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख से सम विश्वविद्यालय संस्थान का नाम, 'दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च' से 'अदानी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च' में विश्वविद्यालय के रूप में नाम परिवर्तित करने के लिए इस शर्त के साथ अपनी स्वीकृति देता है कि संस्थान यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार संघ ज्ञापन (एमओए) की एक पंजीकृत प्रति मंत्रालय और यूजीसी को प्रस्तुत करेगा।

7. अदानी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, वर्धा, महाराष्ट्र अपने नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय में 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। यह सभी उद्देश्यों के लिए "यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम-विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित" अंतः स्थापित कर (कोष्ठक के भीतर) अपने नामकरण के तहत नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

8. यह अनुमति इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं की शर्तों को पूरा करने और केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संगत मानदंडों/नियमों/विनियमों/निर्देशों के अनुपालन के अध्याधीन है।

के.एम. प्रफुल्लचंद्र शर्मा
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 22nd September 2026

No. 9-48/2004-U.3(A)—Whereas, Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, this Ministry, vide Notification No. 9-48/2004-U.3(A) dated 24.05.2005, on the advice of UGC, has declared Datta Meghe Institute of Medical Sciences, Nagpur, Maharashtra comprising (i) Jawaharlal Nehru Medical College, Wardha and (ii) Sharad Pawar Dental College, Wardha, as an Institution deemed to be University with certain conditions.

3. And whereas, Ministry vide Notification No. 9-48/2004-U3(A) dated 27.09.2022 rechristened the name of “Datta Meghe Institute of Medical Sciences” to “Datta Meghe Institute of Higher Education & Research.”

4. And further whereas, the Registrar, Datta Meghe Institute of Higher Education & Research, vide letter dated 03.10.2025, submitted proposal for change of name of the Institution deemed to be University from ‘Datta Meghe Institute of Higher Education & Research’ to ‘Adani Institute of Higher Education and Research.’

5. And whereas, considering the advice of UGC, this Ministry, vide letter dated 05.05.2026, conveyed in-principle approval for change of name of ‘Datta Meghe Institute of Higher Education & Research’ to ‘Adani Institute of Higher Education and Research’ subject to fulfilment of certain conditions. Further, the Institution, vide letter dated 16.07.2026, submitted compliance report in respect of the fulfilment of those conditions. The UGC examined the compliance report and submitted its advice to this Ministry.

6. Now therefore, on the advice of UGC, the Ministry of Education, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby conveys its approval for change of name of the Institution deemed to be University from ‘Datta Meghe Institute of Higher Education & Research’ to ‘Adani Institute of Higher Education and Research’ with effect from the date of this Notification with the condition that the Institution shall submit a registered copy of Memorandum of Association (MoA) in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to the Ministry & the UGC.

7. Adani Institute of Higher Education and Research, Wardha, Maharashtra shall not use the word ‘University’ either in prefix or suffix to its name. It shall distinctly mention the nomenclature under its nomenclature by inserting (within brackets) “Declared as Institution deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956” for all the purposes.

8. This permission is further subject to the fulfilment of the conditions of earlier Notifications of this Ministry and also in compliance to the relevant norms/rules/regulations/directions issued by the Central Government, UGC and other Statutory Councils, from time to time.

K.M PRAPHULLACHANDRA SHARMA
Joint Secretary